भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 485/कम्प्यूटर/10/2016 दिनांक : 13.10.2016

निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसे प्राधिकृत डीलरों, जो सरकारी विभागों के साथ कार्य कर रहे हैं या जो भारत निर्वाचन आयोग के साथ कार्य कर चुके हैं, से **मेमोरी कॉन्फिग्रेशन जीडीडीआर 5 के 2 जीबी सहित एएमडी रेडियॉन आर 9 एम 390 ग्राफिक प्रोसेसर**, 1 **टीबी फ्युजन ड्राइव**, 3.2 **गीगा क्वाड-कोर इंटेल कोर आई5 सहित एक आई मैक (रेटिना 5 के**, 27”**)** की आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सभी दरें निविदा सूचना के साथ संलग्न निर्धारित फार्मेट में ही उद्धृत की जाएंगी।

2. निविदाएं दो बोली पद्धति, अर्थात् तकनीकी बोली एवं वाणिज्यिक बोली के अंतर्गत आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक एजेन्सियों को सलाह दी जाती है कि वे दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे, जिनके ऊपर “भारत निर्वाचन अयोग को **आई मेक (रेटिना 5 के 27”) की आपूर्ति के लिए तकनीकी बोली” तथा “भारत निर्वाचन आयोग को आई मेक (रेटिना 5 के 27”)** आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक बोली” लिखे गए हों, जमा कराएं। दोनों ही मुहरबंद लिफाफे एक तीसरे मुहरबंद लिफाफे, जिसके ऊपर “भारत निर्वाचन आयोग को आई मेक (रेटिना 5 के 27”) की आपूर्ति के लिए निविदा” लिखा गया हो, में रखे जाने चाहिएं।

3. इच्छुक डीलर/फर्म अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा दस्तावेज अवर सचिव (कम्प्यूटर अनुभाग), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को 27.10.2016 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहरबंद निविदाएं निर्वाचन सदन भवन के भू-तल में स्थित प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग में भी जमा की जा सकती हैं। निविदा प्रस्तुत करने की नियत तारीख तथा समय के पश्चात देरी/विलंब से प्राप्त निविदा स्वीकृत नहीं की जाएंगी। भारत निर्वाचन आयोग डाक में गुम/विलंब हो जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे पहली ही नजर में सीधे तौर पर निरस्त कर दी जाएंगी।

5. निविदा फार्म में सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य तथा सुस्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिएं। यदि सूचना उपलब्ध कराने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं हो, तो एक पृथक पत्रक, जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों, संलग्न किया जा सकता है। वाणिज्यिक बोली फार्म में कोई भी उपरिलेखन (ओवरराइटिंग) या काट-छांट की अनुमति नहीं हैं। ऐसे मामलों में निविदा सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। हालांकि, तकनीकी बोली आवेदन में कोई काट-छांट, यदि कोई हो, तो उस पर निविदा बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अवश्य रूप से आद्यक्षर किए जाने चाहिएं।

6. आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति द्वारा निविदाकारों के ऐसे प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में कमरा सं. 601, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में 31.10.2016 की नियत तिथि एवं समय तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोलियां खोली जाएंगी।

7. केवल उन निविदाकारों की वाणिज्यिक बोली खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां नियमानुसार सही पाई जाएंगी। आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति द्वारा उन निविदाकारों की उपस्थिति में जो उपस्थित रहने का निर्णय लेते हैं, वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

8. भारत निर्वाचन आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में किसी या सभी निविदा/निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. क्रय आदेश जारी होने की तिथि से **03 दिन** के भीतर ही प्रिंटरों की संपूर्ण आपूर्ति पूरी की जानी अपेक्षित है। निविदाकर या तो सीधे या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निविदा, निविदाकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो निविदा, निविदाकार से विधिक मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत की जाएगी।

10. निविदा का मूल्य शून्य है। निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।

11. अधोहस्ताक्षरी, स्वीकारकर्त्ता अधिकारी होंगे तथा इसमें इसके पश्चात इस संविदा के प्रयोजन के लिए इसी रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

12. कोई विवाद होने की स्थिति में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

13. क्रय आदेश की प्राप्ति के **5** दिनों के भीतर ही कार्य सभी दृष्टियों से पूरा कर दिया जाना चाहिए। यदि फर्म विनिर्देशन तथा स्वीकृत दर के अनुसार निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहती है तो, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअधिरोपित अर्थदंड भुगतने की भागी बनेगी।

14. यदि कार्य पूरा किए जाने के लिए, उसके निष्पादन में अपरिहार्य बाधाओं के कारण या किसी अन्य आधार पर समय विस्तार की मांग की जाती है, तो फर्म उन परिस्थितियों/आकस्मिकताओं, जिनके कारण ऐसे समय विस्तार की जरूरत पड़ी, का पूर्ण विवरण देते हुए प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन करेगी।

15. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फर्म को सभी प्रकार के भुगतान प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य एवं धनराशि के आधार पर किए जाएंगे। उद्धृत दरें सभी औजारों और संयंत्र तथा उस सब कुछ को कवर करेंगी जो आयोग की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप कार्य के उचित निष्पादन के लिए जरूरी हों और सामग्री/श्रमिकों की लागत में बढ़ोतरी होने के कारण हुई कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं की जाएगी।

भवदीय,

(आई.सी. गोयल)
अवर सचिव
011-23052031

अनुबंध : क

<u>तकनीकी बोली</u>

1. फर्म का नाम :

2. टेलीफोन नंबर एवं ई-मेल सहित कार्यालय का विस्तृत पता :

3. स्थापना का वर्ष (प्रमाण संलग्न करें) :

4. परियोजना के साथ मुख्य व्यक्ति का नाम एवं अनुभव जोड़ा जाए :

5. बोलीदाता की अर्हता :

6. कम्पनी प्रोफाइल :

7. पैन नंबर की प्रति :

8. टिन नंबर की प्रति :

9. स्टॉफ की संख्या और :
वेयरहाउस की क्षमताओं का विवरण

10. पिछले वर्ष के लिए वार्षिक :
टर्न ओवर 20 लाख रू. से अधिक है

11. भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष :
में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रू. 5000/-
की जमा की गई बयाना राशि

12. पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न :

13. प्रिन्टरों की आपूर्ति में :
रू. 5/- लाख का कार्य आदेश

14. क्या यह प्रमाणित करते हुए कि :
किसी सरकारी विभाग द्वारा फर्म
कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं की गई है,
शपथ-पत्र संलग्न किया गया है

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले मैंने/हमने, इस इसमें निहित सभी नियमों एवं शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ और समझ लिया है तथा मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए वचन देता हूं/देते हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

अनुबंध : ख

<u>वाणिज्यिक बोली</u>

कृपया भारतीय रूपयों में प्रत्येक मद की दरें उद्धृत करें।

बोलीदाता को परिवहन एवं श्रम प्रभार सहित समस्त लागत शामिल करनी चाहिए।

हस्ताक्षर :

नाम :